(7)

Attachment- 1.6

Annexure-I

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. 3485/26-41 (2014-15) **Dated-** 15.12.2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.919 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand** for **Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Chamoli** district falls within jurisdiction of **Juyda, Saned, Niladi, Dangtoli villages in Tharali Tehsil.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.919 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~23, 23.1, 23.2 and 23.(A)~~. A, B & C
(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature
Name: S. A. Murugesan (IAS)
जिलाधिकारी
चमोली

(8)

Annexure -~~23~~(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri S.A. Murugesan (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on 15.12.2014 at 4:00PM at Chamoli in which the application claiming rights in **Juyda, Saned, Niladi, Dangtoli villages in Tharali Tehsil**, area measuring **3.919 Hectares** for the **Construction of Meeng Gadera to Dangtoli Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

S. A. Murugesan (IAS)
District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

(9) (B)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा डांगतोली ~~ल्यूड़ा~~ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत मींग गधेरा डांगतोली ~~ल्यूड़ा~~ मोटर मार्ग (— है0) आरक्षित वन भूमि– — है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि–0.572है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 3.919 है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– थराली) की दिनांक 10.12.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक प्रकाश उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री के० एल० भारती	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री मोहन चन्द्र अँथ्वल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी, ए० बी० डी० ओ०	सदस्य / सचिव
4	श्री मदन सिंह	क्षे0प0स0 बलाण	सदस्य
5	श्री हेरन्द्र सिंह	क्षे0प0स0 निलाडी	सदस्य
6	श्रीमती कला देवी	क्षे0प0स0 ग्वालदम	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मींग गधेरा डांगतोली ल्यूड़ा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.919 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, बद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

10

(2)

मैठाणा डिम्मर उमट्टा गोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.919 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– घाट
जनपद– चमोली

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– घाट
जनपद– चमोली

(11)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मींग गधेरा डांगतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 10/12/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद–चमोली।

1	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0/ [signature]
2	श्री के० एल० भारती	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य	[signature]
3	श्री मोहन चन्द्र अँचल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी/ ए० बी० डी० ओ०	सदस्य/सचिव	[signature] ABDO
4	श्री मदन सिंह	क्षे0प0स0 बलाण	सदस्य	[signature]
5	श्री हरेन्द्र सिंह	क्षे0प0स0 निलाडी	सदस्य	Horendra Singh
6	श्रीमती कला देवी	क्षे0प0स0 ग्वालदम	सदस्य	Kala

(12) (८)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मौठा डेरा डांगतोली उर्जुडा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– डांगतोली मिलाई उर्जुडा

तहसील– थराली ,जनपद–चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में मौठा डेरा डांगतोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— है0 आरक्षित वन भूमि, — है0, सिविल भूमि 0.572 है0 वन पंचायत भूमि 1.347 है0) अर्थात कुल 3.919 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम में पंचायत डांगतोली मिलाई द्वारा दिनांक 22-4-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डांगतोली मिलाई के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 3.919 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र देवाल
ह0/
ग्राम सचिव/वि0 ख0 नारायणबगड़ (चमोली)

ह0/
प्रधान

(मुहर: ग्राम पंचायत ... ह0 ... दि0 ...)

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत सनेड़ ह0 ... दिनांक 22/11/2014 वि0ख0 नारायणबगड़ (चमोली))

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 ... दिनांक 22/11/2014 वि0ख0 नारायणबगड़ (चमोली))

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत ... हस्ताक्षर ... दिनांक 22/11/14 वि0 ख0 नारायणबगड़ (चमोली))

प्रपत्र 23.1

(13)

दिनांक— 22-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः— उर्गमघाटी (ल्यारी) [illegible]

क्र0स0	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेन्द्र सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता)	[signature]
2.	दलीप सिंह (रिटायर्ड कैप्टेन)	[signature]
3.	सुजानसिंह नेगी (कार्यरत कर्मचारी शिक्षाविभाग)	[signature]
4.	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
5.	हरेन्द्रसिंह ग्राम सरपंच	[signature]
6.	आनन्दसिंह	[signature]
7.	उदयसिंह	[signature]
8.	मुकुन्दसिंह	[signature]
9.	कर्णसिंह	[signature]
10	धर्मसिंह	[signature]
11	मोहनसिंह	मोहनसिंह
12	बलवन्तसिंह	[signature]
13	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
14	रघुनाथसिंह ग्राम पं प्रधान भाल	[signature]
15		[signature]
16	त्रिलोकसिंह	[signature]
	बख्तावरसिंह	बख्तावरसिंह
	अवतारसिंह	अवतारसिंह
	(कुवरसिंह नेगी)	[signature]
	गुमानसिंह	[signature]
	रमेशचन्द	रमेशचन्द
	महिपालसिंह	MS Bisht
	बलवीरसिंह	बलवीरसिंह
	राजेन्द्रसिंह (रिटायर्ड इंस्पेक्टर)	[signature]
	त्रिलोकसिंह	[signature]
	चन्द्रसिंह	चन्द्रसिंह
	सुरेन्द्रसिंह	सुरेन्द्रसिंह
	कृपालसिंह	[signature]
	[illegible]सिंह	[signature]

ग्राम पंचायत [illegible] हस्ताक्षर [signature] दिनांक 26/11/014 [illegible] नारायण[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] ह0 [signature] दिनांक 22/11/2014 नारायणबगड़ (चमोली)

ह0 [signature] दिनांक 22/11/14